



बिहार विधान परिषद

210वां मॉनसून सत्र

तारांकित प्रश्न

24 जुलाई 2025

[गृह - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - योजना एवं विकास - श्रम संसाधन - वित्त विभाग - वाणिज्य कर - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - परिवहन - जल संसाधन - लघु जल संसाधन - समाज कल्याण - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण].

कुल प्रश्न 40

नियम में संशोधन

*80 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या मंत्री, वित्त विभाग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है, कि वित्त विभाग के पत्रांक 8891 दिनांक 14.11.2017 के कंडिका 4 (आईआईआई) में स्पष्ट है कि वैसे सहायक जिन्हें 01.01.2016 के पूर्व प्रथम ए0सी0पी0 पी0बी0-2 ग्रेड पे- 4800/- तथा द्वितीय एम0ए0सी0पी0 20 वर्षों की सेवा के उपरांत पी0वी0-2, ग्रेड पे- 5400/- में वेतन प्राप्त हुआ, परन्तु प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति 31.12.2015 तक नहीं होने की स्थिति में दिनांक 01.01.2016 से वेतन स्तर 9 अनुमान्य होगा और ऐसे कर्मियों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके बाद नियमित रूप से प्रोन्नति हो जाती है तो प्रोन्नति के फलस्वरूप योगदान की तिथि से वेतन स्तर 11 अनुमान्य होगा;

(ख) क्या यह सही है, कि कई विभाग में वित्त विभाग के परामर्श से ऐसे सहायक जिन्हें 01.01.2016 के पश्चात् द्वितीय एम0ए0सी0पी0 ग्रेड पे- 5400/- में वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पश्चात योगदान की तिथि से वेतन

स्तर-11 में वेतन निर्धारण का लाभ दिया जा रहा है, जिसका परिपत्र निर्गत नहीं होने से कई विभाग के कर्मी वंचित है वही उच्चवर्गीय लिपिक सम्बर्ग से बने सहायक जिन्हें दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् तृतीय एम०ए०सी०पी० के अंतर्गत ग्रेड पे 5400/- रु० में वेतन प्राप्त कर रहे है और उन्हें प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति होने के पश्चात योगदान की तिथि से वेतन स्तर-11 के लाभ से वंचित किया जा रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है ,तो सरकार वेतनमान के एकरूपता के लिए इन्हें भी प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से वेतन स्तर-11 में वेतन निर्धारण हेतु नियम में संशोधन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पार्किंग की समस्या से निजात

***81 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जाम और पार्किंग की समस्या के कारण मोतिहारी शहर के नागरिकों का जीवन दूभर हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जहां-तहां पार्किंग करने, पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने तथा रोगियों के एंबुलेंस, बच्चों के वाहन एवं अत्यावश्यक सामग्रियों की गाडि़यां जाम में फंसने के कारण जनता त्राहिमाम कर रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मोतिहारी शहर को जाम एवं पार्किंग की समस्या से निजात दिलाना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सेवा मे टूट का समायोजन

***82 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):**

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि समेकित बाल विकास योजना के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सरकार के रिकॉर्ड्स के मुताबिक अंशकालिक कार्यकर्ता हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इनके कार्य अवधि एवं कानून के मुताबिक पारिश्रमिक नहीं मिलता है, जबकि इनसे अन्य सरकारी काम लिया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि इन्हें समय पर मासिक मानदेय नहीं मिलता है, जिसके चलते इन्हें अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने पड़ते हैं। राज्य कर्मियों की हड़ताल अवधि को सेवा में टूट के बतौर नहीं लिया जाता है और हड़ताल अवधि का समायोजन सरकार

करती है, जबकी इन लागो को हड़ताल अवधि की सेवा में टूट मानी जाती है।

(घ) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर सकारात्मक हैं तो क्या सरकार इनकी हड़ताल अवधि को सेवा में टूट नहीं मानते हुए वित्तीय अनियमितता को छोड़कर सेवा में टूट को समायोजन करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

गाईड बांध का निर्माण

***83 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कुरसेला-त्रिमुहान गाईड बांध के नवगछिया से कुरसेला के बीच बांध निर्माण का कार्य कई वर्षों से बाधित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बांध का निर्माण नहीं कराने के कारण उक्त क्षेत्र की घनी आबादी बांध के अभाव में डूब जाती है और फसल को भारी नुकसान होता है;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित स्थल के उत्तरी हिस्से में कोसी की मुख्यधारा वर्षों से प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण पूर्व के बचे हिस्से के बाहर दक्षिणी भाग में भारी कटाव जारी है और जिस कारण नदी को नई दिशा में बहने की संभावना है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर कटाव निरोधी कार्य के साथ-साथ गाईड बांध का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पईन का जीर्णोद्धार

***84 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा के पकरीबरावां प्रखंड अंतर्गत सुदनपुर पईन का सफाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के मद से कराई जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि पईन की सफाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य अधूरा काम कर छोड़ देने के कारण प्रखंड मुख्यालय के दोस्तलिबिघा, गुलजारबाग, शांतिनगर सहित कई मोहल्लों में हल्की बारिस होने पर सम्पर्क पथ पर जलजमाव हो जाते है;

(ग) क्या यह सही है कि पईन का जीर्णोद्धार एवं सफाई पूर्ण करा दिया जाय, तो प्रखंड कार्यलय समीप जल जमाव की समस्या से निजात मिल जायेंगे एवं पंचायत पकरीबरावां दक्षिणी, पकरीबरावां उत्तरी, बुधौली, धेवधा, उकौड़ा आदि पंचायत के दर्जनो गाँवों के हजारो-हजार एकड़ भूमि सिंचाई के योग्य हो जायेंगे;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में जल्द से जल्द सुदनपुर पईन की सफाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कबीर अंत्येष्टि योजना

***85 श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ बी0पी0एल0 परिवार को दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2002 के बाद बी0पी0एल0 सूची में नाम दर्ज नहीं हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि बी0पी0एल0 सूची में दर्ज अधिकांश लोगों कि मृत्यु हो गई, जिससे कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ गरीब परिवारों को नहीं मिल पाता है, एवं इस योजना के तहत 3000 रुपये दी जाती है, जो काफी कम है;

(घ) क्या यह सही है कि आवेदन ऑनलाईन करने कि प्रक्रिया काफी जटिल है, तथा ऑनलाईन करने के बाद लाभ मिलने में कम से कम 15 दिनों का समय लग जाता है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि वैशाली जिला में कितने गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल पाया है, तथा कितने लोगों को आवेदन करने के उपरांत अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, एवं कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ राशि को बढ़ाते हुए खाद्य सुरक्षा (राशन कार्ड) देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

जल-जमाव की समस्या

***86 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सही है कि पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड स्थित नान्होंसती से दक्षिण पाँच हजार बीघा में फैले महवा चँवर में स्थायी जल-जमाव रहता है जिससे किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि नान्होंसती जौकटिया के मध्य में स्थित कोहड़ा नदी के लिंक (Link) नाला एवं 62 पुल के चौड़ीकरण एवं नाला सफाई करने से जल-जमाव की समस्या दूर होगी एवं फसल बर्बादी से किसानों की रक्षा एवं राहत मिलेगी;

(ग) अगर उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नाला चौड़ीकरण एवं सफाई कराकर किसानों को राहत प्रदान करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कानून बनाने का विचार

***87 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, **पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है, कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू है, तथा इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के मान सम्मान की रक्षा होती है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में अति पिछड़े समाज के कई जातियों को भी उनके जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है, जिसके कारण उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है;

(ग) यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में अति पिछड़ी जातियों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की तर्ज पर एक कठोर कानून बनाना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

तटबंधों के टूटने से बचाव

***88 डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के लगभग 3800 किलोमीटर लंबी नदियों के दोनों तरफ के निरीक्षण कर चूहों और लोमड़ियों द्वारा किये गये बिलों में पानी जाने से तटबंधों को टूटने से बचाव हेतु संबंधित कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता द्वारा जायजा लेकर उक्त तटबंधों की खास निगरानी की कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में स्थित गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, घाघरा, पुनपुन, चांदन, महानंदा, गंगा, सोन, किउल, हरोहर आदि नदियों के दोनों तरफ के तटबंधों को चार पहिया वाहन के आवागमन लायक मोटा चौड़ीकरण करते हुए दोनों तटबंधों के दोनों तरफ पंक्तिबद्ध रूप से फलदार और इमारती वृक्ष लगाकर क्षतिग्रस्त तटबंधों के टूटने से बचाव करने की अति आवश्यकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-ख पर अंकित नदियों के दोनों ओर के तटबंधों को चार पहिया वाहन के आवागमन लायक मोटा चौड़ीकरण कर उसके दोनों तटबंधों के दोनों तरफ फलदार और इमारती वृक्ष लगाकर उसे टूटने से बचाव करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

प्राक् प्रशिक्षण की व्यवस्था

***89 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है, कि जिला नवादा में डॉ० भीम राव अम्बेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास स्थित है;

(ख) क्या यह सही है, कि इस छात्रावास का निर्माण 40 (चालीस) वर्ष पूर्व हुआ था;

(ग) क्या यह सही है, कि उक्त छात्रावास में कुल 100 (सौ) छात्रों के रहने की ही व्यवस्था है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त छात्रावास में छात्रों के रहने की व्यवस्था 100 (सौ) से बढ़ाकर 300 (तीन सौ) करने, प्राक् प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

सामाजिक सुरक्षा का लाभ

***90 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **श्रम संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक जो निर्माण कार्यों में लगे हैं, उन्हें बिहार सरकार द्वारा बिहार लेबर कार्ड योजना अंतर्गत निबंधन किया जाता है तथा सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतलायेगी कि अभी तक ऐसे कितने श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है, तथा इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

***91 श्री मो. सोहैब (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है, कि दरभंगा जिला के सिंघवाडा प्रखंड अर्न्तगत ग्राम-खुर्द मनिहास में अवस्थित कब्रिस्तान जिसकी खतियान नं०-1650 खेसरा नं०-4951 है, घेरा

बन्दी नहीं होने के कारण असमाजिक तत्वों द्वारा बराबर विवाद उत्पन्न किया जाता है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उपर्युक्त कब्रिस्तान की मापी कराकर घेराबन्दी अविलम्ब करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पुलिस चौकी की स्थापना

***92 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर थाना के पंचायत गायघट्टा गांव बलियापाड़ा पश्चिम बंगाल सीमा पर अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है, कि बलियापाड़ा गांव पश्चिम बंगाल के सीमा पर होने के कारण पश्चिम बंगाल से अपराधिक तत्वों का आना जाना आसानी से होता रहता है जिससे कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल से सटे गांव बलियापाड़ा में पुलिस ओपी0 (अवलोकन पोस्ट) की स्थापना करना चाहती है ,यदि हां तो कब तक ,नहीं तो क्यों?

भवन का निर्माण

***93 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला में 3000 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत है;

(ख) क्या यह सही है कि इनमें से सिर्फ 539 आंगनवाड़ी केंद्रों के पास ही अपना भवन है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष 2461 आंगनवाड़ी केंद्रों का भवन निर्माण शीघ्र कराना चाहती हैं, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

पुनः पदस्थापन कब तक

***94 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सिपाही संख्या 1356 श्री श्याम जी रॉय, जो वर्ष 2012 से नालंदा जिला बल में पदस्थापित हैं, के विरुद्ध दीपनगर थाना कांड संख्या 15/2020 (जी.आर. संख्या 79/200) के अंतर्गत बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम, 2018 की धारा 37 के तहत दिनांक 07.12.2022 को आरोप गठित किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त मामले में दिनांक 22.05.2023 को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अधिकोष, बिहारशरीफ, नालंदा द्वारा श्री श्याम जी रॉय को दोषमुक्त घोषित कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि न्यायालय द्वारा दोषमुक्त घोषित किए जाने के बावजूद उन्हें अब तक विभागीय रूप से सेवा में पुनर्बहाल नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री श्याम जी रॉय को शीघ्र पुनः पदस्थापित करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र

*95 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्रखंड कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा ही आवेदन एवं निर्गत की प्रक्रिया हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि कई गांव जो प्रखंड कार्यालय से काफी दूरी पर स्थित हैं, वहां के स्थानीय लोगों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रखंड कार्यालय आने में काफी परेशानी होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों (मुखिया/वार्ड सदस्यों/आंगनवाड़ी) को देना चाहती है, ताकि लोगों को पंचायत में ही प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

फंड की अनुशंसा

*96 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गाँवों, कस्बों, शहरों में सार्वजनिक पुस्तकालय लंबे समय से कार्यरत हैं, जो गाँव के पढ़े लिखे लोगों की शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे सार्वजनिक पुस्तकालय को उपस्कर, किताब, फर्नीचर, कंप्यूटर की आवश्यक है, विशेषकर युवा पीढ़ी को जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी

करते हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधान मंडल सदस्य ऐसे पुस्तकालयों में कंप्यूटर खरीदने हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से फंड की अनुशंसा कर सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों ?

तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना

***97 श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती मृदुला कुमारी, सेवानिवृत्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो पटना जिला के बिहटा प्रखंड से दिनांक 31.01.2020 को सेवानिवृत्त हुई हैं, किन्तु पांच साल बीत जाने के बाद भी इन्हें तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है :

(ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा दिनांक 05.08.2024 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में निर्णय हेतु रखे जाने की सूचना दी गई थी, किन्तु उक्त बैठक में उनको ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ नहीं दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्रीमती मृदुला कुमारी, सेवानिवृत्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ देना चाहती हैं, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नहर पुनर्जीवित कब तक

***98 श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत गौड़ा एवं आलापुर के मध्य मृतप्राय नहर अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि किसानों को सिंचाई के लिए उक्त नहर पर आश्रित रहना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त नहर के सूख जाने से खेतों की सिंचाई नहीं होने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नहर को किसानों एवं फसल हित में पुनर्जीवित कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

पुलिस कर्मों पर कार्रवाई

***99 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया) :**
प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना) :

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत ग्राम माधोपुर, थाना+प्रखंड- पिपराही में दिनांक 07.06.2025 को रात्रि करीब 09.45 बजे श्री ऋषिकेश उर्फ टुट्टु की गोली मारकर निर्मम हत्या केशव सिंह पिता-राघवेन्द्र सिंह, राघवेन्द्र सिंह पिता-ललन सिंह, शिवम सिंह पिता-विजय सिंह एवं अन्य अज्ञात अपराधियों द्वारा की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त घटना की प्राथमिकी पिपराही थाना कांड सं०-101/07.06.25 में दफा सं०-103/3(5) BNS-2023&27 Arms Act1959 दर्ज कराई गई है, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के कारण पूर्व के 04 हत्या के आरोपी केशव सिंह व राघवेन्द्र सिंह सहित सभी अपराधी सरेआम बाहर घूम रहे हैं, एवं मृतक परिवार को केस उठा लेने अन्यथा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच कराकर हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी व हत्यारों को सह प्रदान करने वाले दोषी पुलिस पदाधिकारी/ कर्मों पर कठोर विभागीय कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

छात्रवृत्ति का भुगतान

***100 श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह यही है कि स्टेट एक्ट के द्वारा IGIMS पटना तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है, लेकिन IGIMS पटना के छात्रों को देय शिक्षण शुल्क के अनुरूप छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में अवस्थित सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्रों को उसके शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के अनुरूप छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन स्टेट एक्ट के द्वारा गठित IGIMS पटना के छात्रों को उसके शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के अनुरूप छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार के मेधावी छात्रों का नामांकन IGIMS पटना में होता है, IGIMS पटना का शिक्षण शुल्क किसी भी संस्थान से काफी अधिक है, जिससे आर्थिक रूप

से कमजोर छात्रों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;
(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार IGIMS पटना के शिक्षण शुल्क के अनुरूप पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कल्याणकारी योजना

***101 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य कोटियों के दिव्यांगजनों की तुलना में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुँचने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 की जनगणना के उपरांत दृष्टिबाधितों की जनसंख्या का कोई अद्यतन आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यों, योजनाओं को अब तक की उपलब्धियों से सदन को अवगत कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक?

सिंगल विन्डो व्यवस्था

***102 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, **योजना एवं विकास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत अनुशंसित योजनाओं में यदि गंडक के बाँध पर किसी सड़क या अन्य कोई अनुशंसा की जाती है, तो जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कई माह लग जा रहा है, जिसके कारण योजना स-समय धरातल पर नहीं उतर पा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि “सिंगल विन्डो व्यवस्था” लागू करने से योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को गतिमान बनाया जा सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में “सिंगल विन्डो व्यवस्था” शुरू करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

खोखी नदी की उड़ाही

***103 श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंड के पंचायत राज-मतेया खास से रामपुर भैसही होते हुए लाल बेगी ग्राम तक खोखी नदी में भरे गाद की गहरी उड़ाही करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त खोखी नदी की गहरी उड़ाही कर उसके दोनों तरफ के तटबंधों के किनारे-किनारे फलदार और इमारती वृक्ष लगाये जाने से उसके जड़ों से नदी के कटाव होने से बचाव होगी;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त खोखी नदी की गहरी उड़ाही होने से उसमें संचित पानी से स्थानीय हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने में सहूलियत होगी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित में खंड 'क' पर अंकित खोखी नदी की इसी वित्तीय वर्ष में गहरी उड़ाही कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

घटना पर रोक

***104 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत सिलिपुर निवासी जय राम ठाकुर के घर में दिनांक 26.02.2025 एवं 27.02.2025 के मध्य रात्रि में अज्ञात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़ कर लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात तथा 10 हजार नगद चोरी कर लिया जिसका थाना कांड संख्या 38/2025 दिनांक 27.2.2025 अंकित किया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि बासोपट्टी थाना प्रभारी का शराब माफिया एवं अपराधियों से साठ - गांठ रहता है, जिस कारण इस तरह की वारदात में काफी वृद्धि हुई है, तथा आम जनता में दहशत है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त थाना प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, तथा इस तरह की घटना पर रोक लगाना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

सेंट्रल जेल का नामकरण

***105 श्री वंशीधर ब्रजवासी (स्नातक तिरहुत):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बैकुंठ शुक्लजी को अंग्रेजी सरकार ने गया सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी थी;

(ख) क्या यह सही है कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी की वीरता और महानता की गाथा को भारत सरकार ने संज्ञान में लेते हुए उनकी जीवनी को NCERT के पाठ्यक्रम में शामिल किया है;

(ग) क्या यह सही है कि महान स्वतंत्रता सेनानियों को जिन जेलों में फांसी दी गई उन जेलों का नामकरण उनके नाम पर किया गया है, परंतु गया सेंट्रल जेल का नामकरण अब तक अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के नाम पर नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के नाम पर गया सेंट्रल जेल का नामकरण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जल उपचार संयंत्र की जांच

***106 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में शुद्ध पेय जल मुहैया कराने हेतु बड़ी संख्या में जल उपचार संयंत्र द्वारा (Reverse Osmosis Plant) द्वारा शोधित/ उपचारित जल की बिक्री खुले रूप से भी की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त संयंत्र की शुद्धता की जांच हेतु सुरक्षा-मानक गौण है और सरकारी स्तर पर भी इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया जाता है और मनमाने तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार लोकहित में जल-जीवन के सिद्धांत के तहत आर.ओ. संयंत्र द्वारा उपचारित पेयजल को कानून की परिधि में लाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पईन का जीर्णोद्धार

***107 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा के रोह प्रखंड अंतर्गत ग्राम हरवंस विगहा के समीप रोहाइन पईन के माध्यम से सकरी नदी का पानी कमला, नरपा एवं चलसा आहर के माध्यम से लगभग पांच हजार एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई होती थी;

(ख) क्या यह सही कि रोहाइन पईन की सफाई एवं जीर्णोद्धार लगभग 35 वर्ष से नहीं

कराने के कारण आमलोगो के द्वारा पर्इन को अतिक्रमण कर लेने से पर्इन का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानो के हित में रोहाइन पर्इन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सफाई एवं जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई

***108 डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहूलियत हेतु आम जनता की गाढ़ी कमाई में से सरकारी प्रक्रिया बनाकर संचित राजकोषीय राशि से पुलिस महकमे में तैनात करने के काम में राज्य के अनेकों थानान्तर्गत के क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये दुष्कर्म, लूट, चोरी, डकैती के मामले संबंधित थाने में अधिकांशत कमजोर वर्गों का थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना जिला के दुल्हिन बाजार थाना के अन्तर्गत अप्रैल, 2025 में नाबालिग लड़की के साथ किये गये दुष्कर्म का मामला को दुल्हिन बाजार के थानेदार भृगुनाथ सिंह द्वारा रफा-दफा कर दिया गया है, जिसे डी.जी.पी., बिहार को संज्ञान में देने पर उसके साथ पुलिसिया कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जिसे रफा-दफा करने की प्रबल संभावना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के संबंधित थानों के अन्तर्गत क्षेत्रों में थानेदार से लेकर डी.जी.पी., गृह सचिव, गुप्तचर, सी.सी.टी.वी. (बेतार यंत्र) आदि से सुसज्जित रहने के बावजूद असामाजिक तत्वों द्वारा दुष्कर्म, लूट, चोरी, डकैती, मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा, जमीन संबंधित होने वाले विवाद के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर्इन का पक्कीकरण

***109 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है, कि पटना नगर के विभिन्न Sewage Treatment Plant (STP) का पानी बादशाही पर्इन में गिराया जाता है;

(ख) क्या यह सही है, कि उक्त पर्इन अभी कच्चा है, जिससे पर्इन के किनारे में घास उग

जाने के कारण कचरा वैगरह फंस जाता है और पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बादशाही पईन का पक्कीकरण करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

आधार पंजीकरण की सुविधा

***110 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 0 से 6 वर्षों तक के बच्चों का आधार पंजीकरण का स्तर बहुत कम है, जिसके कारण ANM, आशा एवं आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा सरकारी योजना का लाभ दिलाने में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखंड कार्यालय में आधार पंजीकरण केंद्र अवस्थित है, जो काफी दूरी पर स्थित हैं, वहां 0 से 6 वर्षों तक के बच्चों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आंगनबाड़ी केंद्र पर या जहाँ पंचायत भवन उपलब्ध हो, माह में एक बार 0 से 6 वर्षों तक के बच्चों का समय पर आधार पंजीकरण कराने के लिए सुविधा देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

CSR सोसाईटी का गठन

***111 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **वित्त विभाग** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भारत में विगत पाँच वर्षों में CSR में 1,26,000 रुपये कंपनियों ने सामाजिक कार्यों हेतु डोनेट किया है, बिहार में ऐसे CSR फंड की उपलब्धता विगत पाँच वर्षों में लगभग 700 करोड़ रुपये की ही रही है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय किया कि CSR पोर्टल डिजाइन किया जाएगा, CSR सोसाईटी बनाई जाएगी जिससे CSR फंड के अधिक प्रस्ताव हो सके, और बिहार राज्य को CSR फंड का अधिक लाभ मिल सके;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताएगी कि क्या CSR पोर्टल डिजाइन हो गया है, CSR पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है, क्या CSR सोसाईटी का गठन हो गया है, इस वर्ष CSR फंड से खर्च के लिए कितने राशि का प्रस्ताव बिहार में स्वीकृत हुआ है, यदि नहीं तो क्यों ?

कानूनी कार्रवाई कब तक

***112 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सुश्री महिमा, सहायक अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं. 960 दिनांक 22.09.2020 द्वारा सिंचाई यांत्रिक अवर प्रमंडल, सीतामढ़ी के पद पर नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक 23.09.2020 को कार्यपालक अभियंता सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में योगदान देकर मुजफ्फरपुर के अतरदह मुहल्ला के प्रजापति नगर में किराये के मकान में रहती थी ;

(ग) क्या यह सही है कि दिनांक 24.02.2024 को अपने कर्तव्य अवधि में सुश्री महिमा की किराये के मकान में ही उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी सदर थाना मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी कांड सं. 120/24 दिनांक 25.02.24 दर्ज कराया गया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुश्री महिमा के हत्यारों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जमीन खरीद-बिक्री में धांधली

***113 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में भू-माफियाओं द्वारा भूमि स्वामित्व वाले असली व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी आधार कार्ड बनाकर अधिकांशतः एक ही जमीन को कई बार अलग-अलग खरीददारों को बेचा जाता है क्योंकि रजिस्ट्री कार्यालय में अधिकारियों द्वारा जमीन बेचने वाले के आधार कार्ड से पहचान व फोटो का मिलान कर अग्रेतर कार्रवाई कर दी जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे फर्जीवाड़ा खेल से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है तथा राज्य में आये दिन जमीन विवाद में हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में जमीन खरीद-बिक्री की धांधली को रोकने व भू-माफियाओं पर नकेल कसने हेतु जमीन बेचने वाले के असली पहचान व आधार कार्ड की विधिवत जांच तथा बेचने- खरीदने वालों के लिए Biometric Verification पद्धति यथाशीघ्र लागू करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

पर्ईन की साफ-सफाई

***114 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी के पंचायत- खोखरी, ग्राम — कटारी के कटारी आहर से लच्छू बिगहा तक पर्ईन की साफ-सफाई नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि लच्छू बिगहा से डीहाई होते हुए चंदाचक तक पर्ईन की सफाई की गयी है, परन्तु आगे का भाग छोड़ दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कटारी आहर से लच्छू बिगहा तक पर्ईन की साफ-सफाई कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक ,नहीं तो क्यों?

बाँध का जीर्णोद्धार

***115 श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के कुचाय कोट प्रखंड के पंचायत राज मतेया खास के अन्तर्गत रामपुर भैसही से गोपालपुर होते हुए राजापुर तक जानेवाली सरकारी कृषि बाँध काफी क्षतिग्रस्त है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सरकारी बाँध के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय हजारों किसानों को कृषि कार्य सम्पन्न करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त क्षतिग्रस्त बाँध का जीर्णोद्धार करने हेतु संबंधित विभागीय पदाधिकारी सक्रिय है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित में खंड 'क' पर अंकित सरकारी बाँध का इसी वित्तीय वर्ष में जीर्णोद्धार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

समायोजित कब तक

***116 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0

अभियान के अंतर्गत प्रखंड परियोजना सहायक के पद पर कार्यरत कुल 425 कर्मियों को 31 अगस्त, 2022 से सेवा मुक्त कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इन कर्मियों के द्वारा सरकार के समक्ष बार बार गुहार लगाया गया है, इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री ने विभाग के भीतर इनके समायोजन को लेकर आश्वासन दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन अनुभवी, दक्ष और काम से बाहर कर दिए गए युवक युवतियों को समायोजित करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

जन्म-मृत्यु का पंजीकरण

***117 श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **योजना एवं विकास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने का अधिकार पंचायत सचिव को दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि विगत 02 माह से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का कार्य बाधित है, जिससे आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए पंचायत में शुल्क का प्रावधान किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकार जन्म एवं मृत्यु का निः शुल्क पंजीकरण करने का प्रावधान करना चाहती है, क्योंकि गाँव में गरीब आबादी ही रहती है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण निः शुल्क जल्द से शुरू कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नहर का जीर्णोद्धार

***118 श्री मो. सोहैब (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के पंचायत राज मतेयां खास से मुख्य नहर से निकलने वाली छोटी नहर मतेयां एवं गोपालपुर होते हुए रामपुर भैंसही को जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नहर क्षतिग्रस्त रहने के कारण खेती के लिए पानी नहीं पहुंचता है;

(ग) क्या यह सही है कि खेतों में पानी नहीं पहुंचने के बावजूद गंडक विभाग के द्वारा पटवन की वसूली की जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नहर का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई कब तक

***119 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी थाना के पुलिस ने एक चोरी के मोटरसाइकिल के साथ दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना के बघात निवासी अपराधी रौशन कुमार को दिनांक 09.02.2025 को गिरफ्तार किया, जिसका थाना कांड संख्या 26/25 दर्ज किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अपराधी को बासोपट्टी थाना के हाजत से दिनांक 10.02.2025 को भगा दिया गया, जिसका कांड संख्या 27/25 अंकित किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जयनगर ने कुख्यात अपराधी के भागने की जांच के क्रम में पुलिस एवं थाना अध्यक्ष की लापरवाही मानते हुए, पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदित किया, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) यही उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त थाना अध्यक्ष एवं पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

पटना - 800015.

24 जुलाई, 2025.

अखिलेश कुमार झा,

सचिव, बिहार विधान परिषद्